**बिहार सरकार**
**गन्ना उद्योग विभाग**

पत्रांक– 02/रेगु०–02–7001/2024– 567 /पटना, दिनांक 10 मार्च, 2025

प्रेषक,

**अनिल कुमार झा,** भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103–आर्थिक सहायता, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45-2852082010103 अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि मो० 30,00,00,000.00 (तीस करोड़) रूपये के अन्तर्गत मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर के क्षमता विस्तार के फलस्वरुप पेराई सत्र 2022–23 में उत्पादित अतिरिक्त चीनी के निमित्त भुगतान किये गये राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति हेतु मो० 1,28,50,566.00 (एक करोड़ अठाईस लाख पचास हजार पाँच सौ छियासठ) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज–2014 निर्गत है, जो निर्गमन की तिथि से प्रभावी है। विभागीय संकल्प संख्या–1981 को दिनांक–26.12.2019 से संशोधित किया गया है। प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्र संख्या–2532 दिनांक–31.10.2014 के के माध्यम से मार्गदर्शिका निर्गत है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण समृद्धि एवं विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन सुनिश्चित करने हेतु राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना, कार्यरत चीनी मिलों एवं आसवनियों के क्षमता विस्तार का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर द्वारा अपने चीनी मिल का क्षमता विस्तार के उपरान्त विक्रय किये गये अतिरिक्त चीनी पर लगे वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति हेतु मो० 4,71,04,667.00 (चार करोड़ इकहत्तर लाख चार हजार छः सौ सड़सठ) रूपये मात्र की अधियाचना प्राप्त हुई है। हसनपुर चीनी मिल द्वारा विक्रय किये गये चीनी की मात्रा एवं भुगतान किये गये जीएसटी (GST) को अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, परिक्षेत्र बेतिया, पश्चिम चम्पारण द्वारा सत्यापित किया गया था।

2. प्राप्त अधियाचना के आलोक में दावों की जाँच हेतु एक जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा अपने पत्रांक–548/ई०का० दिनांक–04.06.2024 के माध्यम से प्राप्त अधियाचना मो० 4,71,04,667.00 (चार करोड़ इकहत्तर लाख चार हजार छः सौ सड़सठ) रूपये के विरूद्ध मो० 2,57,01,133.00 (दो करोड़ सनतावन लाख एक हजार एक सौ तैंतीस) रूपये मात्र भुगतान करने की अनुशंसा की गयी।

3. दिनांक–01.07.2017 से जीएसटी लागू होने के पश्चात् प्रोत्साहन पैकेज–2014 में संशोधन हेतु वाणिज्य कर विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया था, जिस क्रम में वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा चीनी पर वर्तमान में अधिरोपित केन्द्रीय जीएसटी अंश की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति अथवा अन्यथा का निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिये जाने का परामर्श दिया गया था। जिसके पश्चात् विभाग द्वारा संशोधित संकल्प संख्या–1981 दिनांक–26.12.2019 निर्गत किया गया था।

4. प्रोत्साहन पैकेज की कंडिका–4 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में दावों की समीक्षा ईखायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक–19.02.2025 को एक बैठक आहूत की गयी। समिति द्वारा जाँच दल की अनुशंसा के आधार पर तथा विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर को क्षमता विस्तार के पश्चात अतिरिक्त चीनी विक्रय पर भुगतान की गयी मात्र एसजीएसटी (SGST) की राशि मो० 1,28,50,566.00 (एक करोड़ अठाईस लाख पचास हजार पाँच सौ छियासठ) रूपये मात्र की प्रतिपूर्ति पर अनुशंसा की गयी।

कृ.पृ.उ.

5. विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 (यथा संशोधित) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत् मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर को क्षमता विस्तार के पश्चात अतिरिक्त विक्रय की गयी चीनी पर भुगतान की गयी एसजीएसटी (SGST) की राशि मो० 1,28,50,566.00 (एक करोड़ अठाईस लाख पचास हजार पाँच सौ छियासठ) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

6. उक्त राशि मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45-2852082010103 अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में सामान्य श्रेणी अन्तर्गत उपबंधित राशि मो० 30,00,00,000.00 (तीस करोड़) रूपये में से विकलनीय होगी।

7. उक्त राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा **मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर** को उनके बैंक खाते **SBI, Hasanpur Road, IFSC Code-SBIN 0002944, A/c No. 32879361040** में Electronic transfer/CFMS के माध्यम से सीधे अन्तरण द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7001/2024 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

10/3/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7001/2024– 567 ईख/ce /पटना, दिनांक 10 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7001/2024– 567/ईख/ce /पटना, दिनांक 10 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7001/2024– 567 ईख/ce /पटना, दिनांक 10 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7001/2024– 567 ईख/ce /पटना, दिनांक 10 मार्च, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार। 10/3/2025